**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1818**

**उत्तर देने की तारीख : 01.08.2024**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का विकास**

**1818. श्री राजेश रंजनः**
**श्री दिनेश चंद्र यादवः**
**श्री कौशलेन्द्र कुमारः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार को माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत मासिक भुगतान के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को पेश आ रही कठिनाइयों की जानकारी है क्योंकि भुगतान में विलंब पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों (कम से कम माइक्रो एमएफजी इकाइयों को) को जुर्माने के भुगतान से तीन महीने तक की छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा करंदलाजे)**

(क): सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाएं हैं। ये निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के लिए, निवेश और टर्नओवर के आधार पर उच्च सीमा के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण के नए मानदंड़ को, दिनांक 26.06.2020 को अधिसूचित किया गया है।
ii. 200 करोड़ रुपए की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
iii. दिनांक 01.07.2020 को व्यवसाय की सुगमता के लिए, एमएसएमई हेतु उद्यम पंजीकरण की शुरुआत की गई।
iv. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए, दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई।
v. क्रेडिट के उद्देश्य के लिए दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।
vi. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभ प्रदान किया गया है।
vii. शिकायतों को दर्ज करने तथा वस्तुओं और सेवाओं के खरीददारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया भुगतान की निगरानी करने के लिए समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई है।
viii. एमएसएमई की शिकायत निवारण और हैंडहोल्डिंग सहायता सहित ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियंस की शुरुआत की गई है।

(ख) से (घ): वस्तु और सेवा कर परिषद सचिवालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, व्यापार में सुविधा के उपाय के रूप में, टर्नओवर के आधार पर, निम्न उद्यमों को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है:

i. वस्तुओं की अंतर-राज्यीय करयोग्य आपूर्ति में शामिल व्यक्ति, यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

ii. सेवाओं की अंतर-राज्यीय करयोग्य आपूर्ति में शामिल व्यक्ति, यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

मासिक विवरणी दाखिल करने में शामिल अनुपालन संबंधी दायित्वों को कम करने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए सुविधा हेतु कई उपाय किए गए हैं। यह भी सूचित किया गया है कि जीएसटी में कंपोजिशन लेवी स्कीम ऐसे लघु और मध्यम करदाताओं के लिए तैयार की गई है, जिनका टर्नओवर निर्धारित सीमा के भीतर है। 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल टर्नओवर वाला वस्तु आपूर्तिकर्ता और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाला सेवा आपूर्तिकर्ता, कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है। कर का भुगतान तिमाही आधार पर, एक घोषणा के आधार पर किया जाना होता है तथा ऐसे करदाताओं को विस्तृत खाते रखने की आवश्यकता नहीं होती है तथा उन्हें केवल एक वार्षिक रिटर्न (विवरण) दाखिल करना होता है।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किसी विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं है।

*****